

Pls place it on the website of the dept
by
16/7/14

18/7/ADT-2
16/7/14

38
16/7/14
ST(B)

1330/AD(1)
16/7/14



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र/छात्राओं के किसी भी कारण से नाम काटे जाने उपरान्त पुनः प्रवेश की शक्तियाँ निदेशालय पर होने के कारण छात्र/छात्राओं के पुनः प्रवेश की अनुमति में हो रही अनावश्यक देरी के मध्य नजर पुनः प्रवेश की पूर्ण शक्तियाँ प्रधानाचार्य/संस्थान मुखिया को डेलीगेट की जाती है। सम्बंधित छात्र/छात्राओं को पुनः प्रवेश की अनुमति उसी समैस्टर में दी जाये जिस समैस्टर में उसका नाम काटा गया है।

आदेशो की दृढता से पालना की जाये।

दिनांक 26.6.2014

एस.कें.गोयल(आई.ए.एस.)
महानिदेशक
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक टी-8/ पुनः प्रवेश/शक्तियाँ 11512

दिनांक 11.7.14

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. संयुक्त निदेशक प्रशा०
2. सभी प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में।
3. प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) हरियाणा राज्य में।
4. निजी सहायक टू महानिदेशक।
5. स्टैनो टू अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।

उप-निदेशक (प्रशिक्षण)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।